



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218730
CG-DL-E-17032020-218730

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1011]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941

No. 1011]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

का.आ. 1118(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 21.01.2020 को जारी आदेश सं.पीडी-12001/02/2020- कोफेपोसा में यह निदेश दिया गया था कि श्री अमित पाल सिंह, सुपुत्र श्री भूपेंद्र सिंह, निवासी ईडी-118, प्रथम तल, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-110027 को हिरासत में लिया जाए और तिहार जेल, नई दिल्ली में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने के साथ-साथ तस्करी के माल के अन्यथा लेन-देन से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का पालन न किया जा सके।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12001/02/2020-कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)
(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 17th March, 2020

S.O. 1118(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/02/2020-COFEPOSA dated 21.01.2020 under the said sub-section directing that Shri Amit Pal Singh, S/o Shri Bhupinder Singh, R/o ED-118, First Floor, Tagore Garden New Delhi-110027 be detained and kept in Tihar Jail, New Delhi with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods, in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the said Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Government of NCT of Delhi, within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12001/02/2020-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.